2019/00227

निर्णय ब इजलास जगरूप सिंह यादव आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 101/2019 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

1.रामकुंवार पुत्र दल्ला

2.हनुमान सहाय पुत्र भैरू

3.रमेश पुत्र भैरू

4.रामकिशोर पुत्र भैरू

समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम चिताणु कला, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

1.छोटी देवी बेवा देव्या जाति मीणा

2.रामदयाल पुत्र देव्या जाति मीणा

3.लाली देवी बेवा मनोज

4.मनीष पुत्र मनोज नाबालिग जरिये सरंक्षिका माता लाली देवी

5.कुमारी प्रियंका पुत्री मनोज नाबालिग जरिये सरंक्षिका माता लाली देवी

6.कुमारी यति पुत्री मनोज नाबालिग जरिये सरंक्षिका माता लाली देवी

7.शंकर लाल पुत्र देव्या

8.श्रीमती कपूली बेवा सोहन

9.कुन्दन पुत्र सोहन नाबालिग जरिये सरंक्षिका माता कपूली देवी

10. भूमिका पुत्री सोहन नाबालिग जरिये सरंक्षिका माता कपूली देवी

11. रेखा पुत्री सोहन नाबालिग जरिये सरंक्षिका माता कपूली देवी

12. तन्नु पुत्री सोहन नाबालिग जरिये सरंक्षिका माता कपूली देवी

13. कुमारी सुरभी पुत्री सोहन नाबालिग जरिये सरंक्षिका माता कपूली देवी
समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम चिताणु कला, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

14. सरकार जरिये तहसीलदार आमेर, जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

जिला कलक्टर जयपुर जिला, जयपुर

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत उपखण्ड अधिकारी आमेर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 09/2017 ब उनवानी छोटा देवी बनाम रामकुमार को अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने बाबत।

उपस्थितः–

1. श्री कैलाश नारायण शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री मदनलाल कुडी अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से।

जिला कलक्टर
जयपुर

निर्णय दिनांक 25-11-2019

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है वादीगण के उक्त वाद प्रस्तुती के पश्चात प्रतिवादीगण को मौके की यथा स्थिति हेतु पाबन्द किया गया। जिसकी अपील राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के समक्ष लम्बित है। इसके उपरान्त भी प्रतिवादीगण द्वारा उक्त पार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी वाद व अपील के तथ्यो को छुपाते हुये प्रस्तुत किया है। वादीगण द्वारा लम्बित प्रकरण बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी आमेर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 सिविल प्रकिया संहिता का प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी वाद दायरी लम्बित रहते, प्रस्तुत करने के आधार पर प्रार्थना पत्र बाबत पत्थर गढी की कार्यवाही को रोकने हेतु प्रस्तुत किया गया, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी में पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र में दिन प्रति दिन तारीख नियत कर बिना किसी आधार की विवेचना किये व ज्यूडिशियल माईन्ड अप्लाई किये प्रार्थीगण से साज कर खारिज कर दिया व प्ररकण में बिना आधार के पत्थरगढी का आदेश कर प्रार्थीगण का अप्रार्थीगण की जीन पर जबरिया कब्जा कराने पर आमादा हैं। पीठासीन अधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण में एक–एक दो–दो दिन की तारीख पेशी नियत की जाने लगी है व अन्य प्रकरण के लम्बित होने के उपरान्त भी पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण को येन केने प्रकारेण निर्णित कर प्रार्थीगण के पक्ष में फैसला करने व जबाब देही के अवसर होने के उपरान्त भी प्रकरण को बहस मे नियत करने हेतु निर्देशित किया गया। पठसीन अधिकारी के उक्त व्यवहार से प्रार्थीगण को उक्त न्यायालय से न्याय मिलने की कोई आशा नहीं रही है। इसलिए उक्त प्रकरण की सुनवाई एवं निस्तारण हेतु किसी अन्य न्यायलय में स्थनान्तरित किया जाना न्याय हित में आवश्यक है । ऐसा कथन अंकित कर उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का अनुरोध किया है।

2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।उपखण्ड अधिकारी आमेर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री मदन लाल कुडी उपस्थित हुये।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई ।

4. उभयपक्ष अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

5. प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी आमेर के पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने पर शंका जाहिर की है। न्याय का नैसर्गिक सिद्वान्त है कि न्याय किया जाना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि न्याय किया गया है, ऐसा लगना भी चाहिये। न्याय की इसी भावना को मध्यनजर रख कर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्याय संगत है। जयपुर मुख्यालय पर उपखण्ड अधिकारी जयपुर शहर उत्तर का न्यायालय भी स्थापित है, जिसमें इस प्रकरण को अन्तरित किया जा सकता है इससे किसी पक्षकार को असुविधा भी नही होगी। परिणामतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

जिला कलक्टर
जयपुर

6. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 09/2017 ब उनवानी छोटा देवी बनाम रामकुमार को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर शहर उत्तर में मुन्तकिल किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी जयपुर शहर उत्तर प्रकरण का मैरिट एवं गुणावगुण के आधार पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 25-11-2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(जगरूप सिंह यादव)
जिला कलक्टर
जयपुर